प्रेस विज्ञप्ति

18.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने जीटी दिनेश कुमार (पूर्व-एमयूडीए आयुक्त) को 16/09/2025 को अवैध एमयूडीए स्थल आवंटन घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 17/09/2025 को माननीय LXXXI अतिरिक्त नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश और सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए बेंगलुरु स्थित विशेष न्यायालय (सीसीएच-82) के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी को 26/09/2025 तक 09 दिनों की रिमांड प्रदान की।

इस मामले की जाँच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों से पता चला है कि जीटी दिनेश कुमार आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एमयूडीए, मैसूर में व्यापक धन शोधन योजना में सक्रिय रूप से शामिल थे।

ईडी ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा एमयूडीए स्थलों के बड़े पैमाने पर अवैध आवंटन के आरोपों पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जांच में विभिन्न कानूनों और सरकारी आदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके और अन्य धोखाधड़ी के तरीकों से एमयूडीए साइटों के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाले का पता चला। पूर्व एमयूडीए आयुक्त जीटी दिनेश कुमार की भूमिका अयोग्य संस्थाओं/व्यक्तियों को मुआवजा साइटों के अवैध आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले के रूप में सामने आई है। जांच के दौरान नकदी, बैंक हस्तांतरण, चल/अचल संपत्तियों के रूप में अवैध आवंटन करने के लिए रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में सबूत एकत्र किए गए हैं।

अवैध आवंटन करने के तौर-तरीकों में अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करना और सरकारी आदेशों का सीधा उल्लंघन करते हुए फर्जी दस्तावेजों/अधूरे दस्तावेजों का उपयोग करके आवंटन करना और कुछ मामलों में आवंटन पत्रों की पिछली तारीख भी शामिल थी। इन अवैध आवंटनों को करने के लिए प्राप्त रिश्वत को एक सहकारी समिति और जीटी दिनेश कुमार के रिश्तेदारों/सहयोगियों के बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था इस प्रकार प्राप्त धनराशि का उपयोग जीटी दिनेश कुमार के रिश्तेदारों के नाम पर अवैध रूप से आवंटित एमयूडीए की कुछ साइटों को खरीदने के लिए किया गया।

यह बताना ज़रूरी है कि ईडी ने अब तक अवैध रूप से आवंटित एमयूडीए की 252 साइटों को कुर्क किया है, जिनका बाजार मूल्य लगभग 400 करोड़ रुपये है।

आगे की जाँच जारी है।